दस रुपये TEN RUPEES

63

# न्यायालय समक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निग - 1590 - II - 16

रा.निग.क्र. ..... ................../2016

देवीराम आत्मज रामप्रसाद चौहान
कृषक निवासी-ग्राम ईशरपुर
तहसील बुदनी जिला-सीहोर (म.प्र.) ....................निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन,
द्वारा-कलेक्टर महोदय,सीहोर।
2. नायब तहसीलदार,शाहगंज
तहसील बुदनी जिला-सीहोर ....................उत्तरदातागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

महोदयजी,

न्यायालय नायब तहसीलदार शाहगंज तहसील बुदनी जिला सीहोर के द्वारा रा.प्र.क.07/अ-68/1-16 एवं आवेदक/निगरानीकर्ता के विरुद्ध की जा रही अवैधानिक कार्यवाही से दुखी एवं परिवेदित होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष समय सीमा में सादर प्रस्तुत है ।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में

01. यह कि निगरानीकर्ता के पिता के नाम पटवारी हल्का नं.26 में एक खाता क्रमांक 83/7, 91/7 रकबा 0.482 हेक्टेयर लगानी भूमि थी उक्त भूमि ग्राम ईशरपुर की बसाहट से लगी भूमि है जिसपर निगरानीकर्ता के पिता द्वारा वर्ष 1980 में लगभग 36 वर्ष पूर्व उनके स्वत्व, स्वामित्व की उपरोक्त वर्णित भूमि पर एक मकान बनवाया तथा गौशाला का निर्माण भी किया गया उक्त मकान में निगरानीकर्ता के पिता शांतिपूर्वक अपने परिवार के साथ जीवन पर्यन्त निवास करते रहे तथा शेष भूमि के चारों तरफ की मेढ़ो की सीमा के अंदर तार फेंसिंग तथा वृक्ष, बागड़ आदि लगाकर खलियान तथा मवेसियों आदि के कार्यो में शांतिपूर्वक उपयोग करते चले आ रहे थे उनकी मृत्यु के पश्चात् उपरोक्त वर्णित भूमि उनके वैध वारिसानों के नाम संयुक्त रूप से राजस्व परिपत्रों में अंकित हुई।

निरन्तर....

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 1590–दो/2016 जिला सीहोर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 28–6–2016 | आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। नायब तहसीलदार शाहगंज तहसी बुदनी, सीहोर के प्रकरण कमांक 7/अ–68/15–16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 29–2–2016 की सत्यापित प्रति का अवालोकन किया। नायब तहसीलदार ने पटवारी हल्का नं0 26 के प्रतिवेदन के आधा पर ग्राम ईयशरपुर में खवादा से ईशरपुर आने जाने के रास्ते पर आवेदक द्वारा 5 फीट बागड लगा कर शासकीय भूमि पर अतिकमण किया जाना पाया है। नायब तहसीलदार ने तत्काल निर्माण कार्य बंद करने एवं उक्त निर्माण कार्य से संबंधित दस्तावेज लेकर उपतहसील में उपस्थित होने के आदेश दिये हैं। नायब तहसीलदार के आदेश में किसी प्रकार अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। जहां तक आवेदक अभिभाषक के तर्क का प्रश्न है कि आवेदक पटवारी हल्का नं0 26 में खाता कमांक 83/7, 91/7 पर अपने पिता के समय वर्ष 1980 से मकान बनाकर काबिज है अब इतने समय बाद उनकी भूमि शासकीय रास्ते पर दर्शाया जाना उचित नहीं है। नायब तहसीलदार ने पटवारी प्रतिवेदन एवं नक्शे के आधार पर आवेदक के द्वारा बाड लगाकर कब्जा किया जाना पाया है तथा उक्त निर्माण कार्य से संबंधित दस्तावेज लेकर उपतहसील में उपस्थित होने के आदेश दिये हैं। यदि आवेदक | |

के पास उनके भूमिस्वामित्व के संबंध में दस्तावेज हैं तो वह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकते हैं। दर्शित परिस्थितियों में नायब तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 29–2–2016 में किसी प्रकार अवैधानिकता एवं अनियमितता प्रकट नहीं होने से यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य